न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी :– श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 08 / 2024

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

अपीलान्ट	बनाम	उतरदातागण
1. आईदानराम पुत्र मोटा, जाति जाट, निवासी केकड़, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. सरपंच ग्राम पंचायत आदर्श केकड़ प.स. सेड़वा 2. चिमाराम पुत्र रासिंगा 3. जियाराम पुत्र रासिंगा 4. पुरखाराम पुत्र रासिंगा 5. भोमाराम पुत्र रासिंगा 6. वरजुदेवी पत्नी रासिंगा जाति जाट, निवासी केकड़, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 7. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा।

उपस्थित : **अपीलान्ट वकील** : श्री करनाराम कड़वासरा

उतरदातागण के वकील : श्री मेहराराम सारण

–: आदेश :–

दिनांक 06/05/2025

अपीलकर्त्ता की अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम आदर्श केकड़, पटवार हल्का केकड़ के खसरा संख्या 383 रकबा 18.3565 हैक्टेयर का आया हुआ है, तथा ग्राम झंगिया पटवार हल्का केकड़ के खसरा खसरा संख्या 682 रकबा 0.1619 हैक्टैयर, खसरा संख्या 683 रकबा 8.9112 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 02 से 06 के संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं, अपीलान्ट के पिता मोटा, रासिंगा, पदमा तीन भाई थे, पदमा पुत्र मेरामा ना औलाद फौत होने पर उनके निकटतम वारिशो के नाम ग्राम आदर्श केकड़ के खसरा संख्या 682, 683 रकबा 9.0731 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरण संख्या 84 सही भरा गया। लेकिन ग्राम झंगिया के खसरा संख्या 383 रकबा 18.3565 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरण संख्या 265 में रासिंगा के पुत्रो के नाम भूल से दर्ज कर दिया गया, क्योंकि नामान्तरण संख्या 264 रासिंगा के फौतगी का था, उसी नाम को भूल से नामान्तरण संख्या 265 में डालकर हल्का पटवारी केकड़ द्वारा स्व. पदमा के निकटतम तमाम् वारिशो की जांच पड़ताल किये बिना गैर कानूनी तरीके से, लिपिकीय भूल से रासिंगा के पुत्रो को वारिश बताकर नामान्तरण प्रस्तावित कर दिया, हिन्दू उत्तराधिकारी अधि. में विहित द्वितीय श्रेणी के निकटतम वारिश अपीलान्ट होने से उसके बावजूद भी अपने हक हकूको से वंचित करने के लिए हल्का पटवारी ने मिलावट कर बिना जांच पड़ताल किये रेस्पोडेन्ट संख्या 02 स्व. से 06 के नाम नामान्तरण प्रस्तावित कर दिया। तत्पश्चात् भू.निरीक्षक बामड़ला ने भी स्व. पदमा के तमाम् सम्पूर्ण वारिशों की जांच किये बिना यांत्रिक तरीके से टिप्पणी कर दी तथा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत केकड़ जो स्व. पदमा के अपीलान्ट निकटतम वारिश की जानकारी होते हुए भी बिना कोई जांच पड़ताल किये ग्राम पंचायत के आम बैठक में प्रस्ताव लिये बिना, नामान्तरण की पत्रावली संधारित किये बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये विना रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 06 के नाम नामान्तरण पारित कर दिया, तथा खसरा संख्या 682, 683 में नामान्तरण संख्या 84 सही भरा [illegible] सही भरा व दूसरे खेत में गलत भर दिया गया। जो ऐसा नामान्तरण आदेश विधि विरूद्ध [illegible] सुरत में निरस्त योग्य है। अपीलाधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

स्व पदमा के नाऔलाद फौत होने पर उनके दोनो सगे भाई मोटाव रासिंगा के वारिशो भूमि का ...ल करते आ रहे है, अपीलान्ट व रेस्पोन्ट संख्या 02 से 06 के दो गांवो में भूमि आयी हुई है, जिससे ...गीया में नामान्तरण संख्या 84 सही व विधिवत भरा गया, लेकिन ग्राम आदर्श केकड़ वाली भूमि में लिपिकीय भूल से गलत दर्ज हो गया, जिस पर ग्राम पंचायत ने दुबारा प्रस्ताव लेकर उक्त नामान्तरण संख्या 265 को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव लिया गया, लेकिन तहसीलदार सेड़वा द्वज्ञरा रिओपन नहीं किया गया, अपीलाधीन नामान्तरण हर सुरत में निरस्त किये जाने योग्य है। सुविधा के लिहाज से समझने के लिए स्व. पदमा के खानदान की व विधिक वारिशो की वंशावली प्रस्तुत की। स्व. पदमा के नाऔलाद फौत होने से उनके निकटतम विधिक वारिश अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 06 है, उनकी आराजी दो गांवो में होने से ग्राम आदर्श केकड़ में नामान्तरण संख्या 84 अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता के नाम से सही भरा गया है, जिसमें साबित है कि स्व. पदमा के निकटतम वारिश अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 06 है, उसके बावजूद भी हल्का पटवारी ने लिपिकीय भूल से जांच किये बिना नामान्तरण विधि विरूद्व तौर से पारित कर दिया, जो अपीलाधीन पारित नामान्तरण विधि विरूद्व होने से हर सुरत में खारिज योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरण पारित करते समय ग्रमा पंचायत के सरपंच ने लिपिकीय भूल से व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तरण पत्रावली संधारण किये बिना, आम ग्राम पंचायत की बैठक बुलाये बिना तथा मौके पर काबिज काश्त सभी वारिशों की जांच पड़ताल किये बिना अपीलाधीन नामान्तरण पारित करनें में विधि एवं वाक्याती भारी भूल की है जो अपीलाधीन नामान्तरण हर सुरत में खारिज योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरण पारित करते वक्त स्व. पदमा के निकटतम वारिश अपीलान्ट तमाम् वारिशो के नाम फौदगी नामान्तरण में नाम दर्ज कानूनीया करना था, जो ग्राम आदर्श केकड़ में नामान्तरण संख्या 84 में सभी वारिशो के नाम नामान्तरण भरा गया जो सही भरा गया। लेकिन ग्राम झंगिया में ग्राम पंचायत आदर्श केकड़ ने लिपिकीय भूल विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना गैर कानूनी रूप से नामान्तरण अपीलान्ट के नाम पारित कर दिया, जो अपीलाधीन नामान्तरण हर सुरत में विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरण में स्व. पदमा के तमाम् निकटतम वारिशो की जांच की जाकर अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं कर अपीलान्ट को सुनवाई व सुचना का अवसर दिये बिना नामान्तरण पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व होने से अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है। स्व. पदमा के सगे भाई मोटा का अपीलान्ट पुत्र होने से उनके निकटतम वारिश होने से रेस्पोडेन्ट सं. 02. से 06 अकेलो के नाम अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत कर उनके विधि सम्मत अधिकारों के हको पर कुठाराघात किया गया है जो कतई विधि सम्मत नहीं है। ऐसे स्वीकृत नामान्तरण को कानून कतई सरंक्षण नहीं देता है। तथा ग्राम पंचायत आदर्श ने अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत करते वक्त किसी प्रकार की जांच नहीं की ग्राम पंचायत की आम बैठक नहीं बुलाकर विधि सम्मत प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत करने से कोई विधिक प्रक्रिया अपनाई जिससे अपीलाधीन नामान्तरण विधि सम्मत नहीं होने से व विधि के सिद्वान्तों के विपरित जाकर नामान्तरण पारित करने में विधि एवं वाक्याती भारी भूल की है। जो हर सुरत में अपीलाधीन नामान्तरण विधि सम्मत नहीं होने से अस्वीकृत योग्य है। ग्राम आदर्श केकड़ के खसरा संख्या 383 का नामान्तरण रेस्पोन्ट सं. 02 से 06 के नाम भरे जाने का जानकारी पहले नहीं थी, जानकारी में आने पर ग्राम पंचायत आदर्श केकड़ ने उक्त अपीलाधीन नामान्तरण को रिओपन करने का प्रस्ताव पारित किया गया, उक्त नामान्तरण को रेओपन करने के लिए तहसीलदार सेड़वा ... पत्र पेश किया, लेकिन उसके बावजूद

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

...न नामान्तरण को निरस्त नहीं किया गया। नामान्तरण नकल हल्का पटवारी से दिनांक 10.06. ...ा लेने से अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत किये जाने की सर्वप्रथम जानकारी हुई। जिससे पूर्व ...न्ट को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 265 दिनांक 06.07.2024 को विधि रूप से ग्राम पंचायत आदर्श केकड़ का पारित आदेश अपास्त फरमावें तथा अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 265 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें। तथा स्वं पदमा पुत्र मेरामा के सम्पूर्ण निकटतम वारिशान अपीलान्ट के नाम से नामान्तरण दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें तथा अन्य उचित आदेश हो जो मान्यवर न्यायालय न्यायहित में आवश्यक समझे अपीलान्टस के पक्ष में सादिर फरमावें।

अपीलान्ट की अपील दर्ज कर उतरदातागण को सम्मन तलब किये गये। उतरदातागण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त जिससे शामिल पत्रावली किया जाता है। उतरदातागण की और अधिवक्तागण श्री मेराराम सारण ने ईकबलिया जवाब पेश किया जिससे शामिल पत्रावली किया जाता है। अपीलान्ट वकील ने तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट वर्तमान की स्थिति मंगवाने का निवेदन किया जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सेड़वा को मौका रिपोर्ट वर्तमान की स्थिति हेतु लिखा गया।

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रेषित कमांक/भू.अ./01 दिनांक 15.02.2025 की पालना में हमराह हल्का पटवारी केकड़ के साथ मौका जांच हेतू रूबरू मौतबरान मौके पर पहुंचा। न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई जिस अनुसार राजस्व अपील संख्या 08/2024 अनवान आईदानराम बनाम सरपंच ग्राम पंचायत आदर्श केकड़ धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट की तथ्यात्मक मौका जांच करने वास्ते मौके पर पहुंचा। मौतबरानों एवं अपीलर्थी के वारिसानों के रूबरू जांच की गई। जिनकी तथ्यात्मक रिपोर्ट इस प्रकार है– मौके पर मौजूद मैतबिरान व विप्रार्थीगण सरपंच ग्राम पंचायत आदर्श केकड़ ने बताया कि नामा. संख्या 265 स्वी. दिनांक 09.07.2024 को त्रुटिवंश गलत स्वीकृत हो गया जिससे अपास्त कर सही नामा. दर्ज किया जाना आवश्यक है हल्का पटवारी द्वारा उक्त खसरा संख्या 383 रकबा 18.3565 हैक्टेयर किस्म बा0सोयम के समस्त रिकार्ड उपलब्ध करवाये। हल्का पटवारी के रिकार्ड व मौतबिरान के अनुसार उक्त खसरे में निम्नानुसार हिस्सा होना चाहिये। वक्त सेटलमेन्ट अनुसार मेहराराम पुत्र भुरा 2/3 व मेघा पुत्र भुरा 1/3 हिस्सा दर्ज था। नामा. संख्या 265 में पदमाराम नाऔलाद फौत होने के कारण केवल रासिंगा के वारिसान के नाम नामा. खोला गया जो गलत। मौटा और रासिंगा दोनो वारिसान के नाम खोला जाना चाहिये था। जिससे शुद्व किया जाना उचित है। उक्त मौका फर्द पढ़कर सुनाई गई, सुन समझकर अंगुठे निशान एवं हस्ताक्षर किये।

अतः अपीलान्ट की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की स्वीकार कि जाती है <u>तहसीलदार सेड़वा को आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि विवादित नामान्तकरण में समस्त दस्तावेजों एवं विधिक वारिशान को विधि सम्मत विश्लेषण एवं सुनवाई करने के पश्चात विधिपूर्वक नामान्तकरण की कार्यवाही की जावें।</u> पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 06/05/25 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

(SDO) सेड़वा

(बद्रीनारायण विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 543

दिनांकः– 04/03/25

प्रेषितः–

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला– बाड़मेर)

विषयः– राजस्व वाद संख्या 91/2024 अनवान आईदानराम वगैरह बनाम ग्राम पंचायत केकड़ वगैरह अन्तर्गत RLR धारा 75 में तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने बाबत्।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 91/2024 अनवान आईदानराम वगैरह बनाम ग्राम पंचायत केकड़ में मौजा आदर्श केकड़ के खसरा 383 की अन्तर्गत धारा 75 RLR ACT में तथ्यात्मक रिपोर्ट आप द्वारा चाही थी। जिसकी भू.अ. निरीक्षक वामड़ला द्वारा दिनांक 15.02.2025 को मौका जांचकर वादी प्रतिवादी व पड़ोसियों मौतबरानों सहखातेदारों के रूबरू जांच रिपोर्ट तैयार पेश की गई। जो इस पत्र के सलंग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

सलंगनः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा
तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा

504
04/03/2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:43 IST
Reason: SelfAttested

मौका - फर्द

आज दिनांक 15.02.2025 को कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा क्रमांक / भू अ० / 01 दिनांक 03.01.2025 की पालना में हमराह हल्का पटवारी केकड़ के साथ मौका जाँच हेतु स्वयं मौतबरान मौके पर पहुँचा। माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला - बाड़मेर के क्रमांक / रीडर / 2025/01 दिनांक 03.01.2025 में राजस्व अपील संख्या 08/2025 अनवान आईदानराम बनाम सरपंच ग्राम पंचायत आदर्श केकड़ में धारा 75 RLR Act के तहत मौका रिपोर्ट हेतु मौके पर पहुँचा। मौके पर मौजूद मौतबिरान व विप्रार्थीगण सरपंच ग्राम पंचायत आदर्श केकड़ ने बताया कि नामा० सं. 265 स्वी. दिनांक 09.07.2024 जो त्रुटिपूर्ण गलत स्वीकृत हो गया जिससे ~~खारी~~ अपास्त कर सही नामा दर्ज किया जाना आवश्यक। हल्का पटवारी द्वारा उक्त खसरा सं. 383 रकबा 18.3565 है० किस्म पा. सोपम के समस्त रिकार्ड उपलब्ध करवाये। हल्का पटवारी के रिकार्ड व मौतबिरान अनुसार उक्त खसरे में निम्नानुसार हिस्सा होना चाहिये।

बन्दोबस्त सेटलमेन्ट अनुसार (मेहरामा पुत्र भूरा 2/3 व मेघा पुत्र भूरा 1/3) दर्ज था

(M.N. 305 अनुसार मेहरामा फौत के बाद वारिसान निम्नानुसार) | (M.N. 534 अनुसार मेघा सम्पूर्ण हिस्सा मेहरामा के वारिसान को दिया)

फौत M.N. 790 ← मोटा 1/3 | रासिंगा 1/3 | पदमा 1/3

मोटा → अईदान, कसुम्बी आईदान (14) फौत

रासिंगा (M.N. 264) → भिमाराम, जीव्याराम, फुसाराम, प्रेमराम, वरजू देवी

नामा सं. 265 में पदमाराम लाओलाद फौत होने के कारण केवल रासिंगा के वारिसान के नाम नामा खोला गया जो गलत। मोटा और रासिंगा दोनो वारिसान के नाम खोला जाना चाहिये था जिससे शुद्ध किया जाना। उपरोक्त मौका फर्द पढ़कर सुनाई गई सही होना स्वीकार किया।

प्र.स./कोर्ट

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

(ओमप्रकाश कुमार पूनड़) सरपंच ग्राम पंचायत आदर्श केकड़ (सेड़वा, बाड़मेर)

15/2/2025

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

ह० केकड़

ICR बाकड़ेश्वर

आ० पदमू

आ० मुकनाराम

आ० आईदान

केशाराम

नारायणराम

(उप-प्रधान सेड़वा)

339/914

भोमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:43 IST
Reason: SelfAttested